

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शिव
(पीठारसीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा)

राजस्व वाद सं. 76/2020

अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 209 रा0का0अधि0

| दिनांक | वादी | वनाम | प्रतिवादीगण |
|----------|--|------|---|
| | सधीक खां पुत्र आधम खां जाति-मुसलमान, नि0 कानासर, तह0 शिव | | 1. साकर खां पुत्र आधम खां जाति-मुसलमान, नि0कानासर, तह0 शिव 2. शाखा प्रबन्धक पी.एन.वी. वैक शाखा उण्डू 3. राज0राज्य तहसीलदार एवं पदेन उप पंजीयक शिव। |
| | हुकम कार्यवाही मय इनिषियल्स जज | | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए |
| 08/1/20 | वादी के वकील श्री नरेन्द्रसिंह सियाग ने यह वाद पत्र धारा 88, 53, 188, 209 आर.टी.एक्ट. के तहत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादी के सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 21/8/20 को पेश हो। | | |
| 21/8/20 | <p>पत्रावली आज पेश हुई। आज हम दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। अतः इतला होकर पत्रावली आईन्दा वास्ते अग्रिम कार्यवाही दि. 01/11/20 को पेश हूँ।</p> <p align="right"><i>(Signature)</i> सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव</p> | | |
| 01/10/20 | <p>पत्रावली आज पेश हुई। आज हम दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। अतः इतला होकर पत्रावली आईन्दा वास्ते अग्रिम कार्यवाही दि. 11/11/20 को पेश हूँ।</p> | | |
| 11/12/20 | <p>पत्रावली आज पेश हुई। आज हम दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। अतः इतला होकर पत्रावली आईन्दा वास्ते अग्रिम कार्यवाही दि. 29/1/21 को पेश हूँ।</p> | | |
| 29/1/21 | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील अधिवक्ता अप.। हरिवंशीगण के ब्योचिस व डिलेवरी रिपोर्ट बंधा हुई जो सम्मिल पत्रावली किये गये। पत्रावली वास्ते हरिवंशीगण का इन्जार् वेन्स फावली आइन्दा दि. 17/3/21 को पेश हो।</p> <p align="right"><i>(Signature)</i> सहायक कलक्टर (SDO) शिव</p> | | |

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

12.6.25 पत्रावली पेश। (वादी वकील उप.)
पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक
7.07.25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

7.7.25 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीएचसीन अधिकारी
के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इत्या
होकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 23.7.25 को पेश हो।

23.7.25

पत्रावली पेश। (वादी वकील अनुपस्थित।)
पत्रावली में उभावी पैरवी हेतु न्यायालय
समय में वादी व वादी अधिवक्ता को
रुठ-रुठ कर सावधान ही जानें के बावजूद
अनुपस्थित। अतः पत्रावली में कोई उभावी
पैरवी नहीं होने व वादी व वादी वकील
के अनुपस्थित रहने पर उक्त वाद
अदालत हाजरी व अदालत पैरवी में खारिज
किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से उम
छेकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव